~ विज्ञापन ~

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग

प्रकाशन की तिथि 26/11/2008	विज्ञापन क्रमांक 12/2008/चयन/दिनांक 22/11/2008	भरे हुए आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि 26/12/2008

भारतीय नागरिक और भारत शासन द्वारा मान्य श्रेणियों के उम्मीदवारों से छत्तीसगढ़ शासन के **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में औषधि निरीक्षक, खाद्य निरीक्षक एवं औषधि विश्लेषक(द्वितीय)** के रिक्त पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं:-

स.क्र.	पद तथा विभाग का नाम	(अ) कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				(ब) (अ) में बताई गई रिक्तियों में से वर्गवार महिलाओं के लिए आरक्षित पद				(स) विकलांग तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पद		योग
		अना-रक्षित	अनु-सूचित जाति	अनु-सूचित जनजाति	अन्य पिछडा वर्ग	अना-रक्षित	अनु-सूचित जाति	अनु-सूचित जनजाति	अन्य पिछडा वर्ग	विकलांग	भूतपूर्व सैनिक	
1	औषधि निरीक्षक	08	02	04	02	02	-	01	-	01 (अ.जा.)	01 (अना.)	16
2	खाद्य निरीक्षक	19	06	08	05	06	02	02	01	01 (अना.) 01 (अ.जा.)	02 (अना.) 01 (अ.ज.जा.)	38
3	औषधि विश्लेषक(द्वितीय) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01
	योग	28	08	12	07	08	02	03	01	03	04	55

'पदों की संख्या परिवर्तनीय है'

नोटः- विकलांगता के प्रकार का विवरणः- अस्थिबाधित- विकलांगता 40% या उससे अधिक हो।

(2) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के लिये आरक्षित पद केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के लिये

आरक्षित हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के आवेदकों को अनारक्षित श्रेणी का उम्मीद्वार ही माना जाएगा।

(3) चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति 2 वर्ष की परिवीक्षा पर की जाएगी।

(4) पद का विवरण :-
(A)4.1 पद का नामः- औषधि निरीक्षक

4.2 सेवा श्रेणीः- अराजपत्रित तृतीय श्रेणी कार्यपालिक।

4.3 वेतनमान - रूपये 4,500-7,000/- इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महगांई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होगें।

4.4 आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएंः-

औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के नियम 49 के उपबंधों के अधीन औषधि निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए विहित अर्हताएं होनी चाहिए।

भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय में फार्मेसी में स्नातक अथवा फार्मास्यूटिकल्स विज्ञान में स्नातक या क्लिनिकल फार्माकोलाजी अथवा मायक्रोबायोलाजी में विशेषज्ञता सहित मेडिसीन में स्नातक उपाधि।

Should possess the qualification prescribed for appointment as Drugs Inspector under the Provisions of rule 49 of Drugs and Cosmetics Rule, 1945.

A person who is appointed an Inspector under the Act shall be a person who has a degree in Pharmacy or Pharmaceutical Sciences or Medicine with Specialisation in Clinical Pharmacology or Microbiology from a University established in India by law.

4.5 आयु सीमाः- दिनांक 01.01.2009 को 21 वर्ष पूर्ण कर ली हो किन्तु 30 वर्ष की आयु पूर्ण न की गई हो परन्तु छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी आवेदकों के लिए आयु 30 वर्ष के स्थान पर 37 वर्ष होगी।

नोटः-छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-2/2002/1-3 रायपुर दिनांक 16.09.2008 के अनुसार छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी आवेदकों के लिए आयु की गणना हेतु अधिकतम आयु सीमा 37 वर्ष रहेगी। अन्य विशेष वर्ग जैसे- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर), महिला आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में राज्य शासन द्वारा जो छूट दी गई है, वे छूट यथावत लागू रहेगी परन्तु सभी प्रकार के छूट को सम्मिलित करने के बाद आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(B) 4.1 पद का नामः- खाद्य निरीक्षक

4.2 सेवा श्रेणीः- अराजपत्रित तृतीय श्रेणी कार्यपालिक।

4.3 वेतनमान - रूपये 3,500-5,200/- इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महगांई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होगें।

4.4 आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएं:-

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1955 के नियम 8- खाद्य निरीक्षक की अर्हताएं:- कोई व्यक्ति खाद्य निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा, जब तक कि वहः-

(क) किसी स्थानीय क्षेत्र के स्वास्थ्य प्रशासन का भारसाधक चिकित्सा अधिकारी न हो, या

(ख) आयुर्विज्ञान में स्नातक न हो, तथा उसने केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए अनुमोदित खाद्य निरीक्षक तथा नमूनें लेने (सेम्पलिंग) के कम-से-कम एक मास का प्रशिक्षण प्राप्त न किया हों, या

(ग) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्व विद्यालय या संस्था से रसायन शास्त्र एक विषय के रूप में लेकर विज्ञान में स्नातक न हों, अथवा कृषि या लोक स्वास्थ्य अथवा फार्मेसी या पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातक न हों, या खाद्य प्रौद्योगिकी या डेयरी प्रौद्योगिकी में स्नातक न हों या खाद्य प्रौद्योगिकी या डेयरी प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा धारक न हो या उसके पास ऐसी समतुल्य अर्हताएं न हों, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए मान्य तथा अधिसूचित हों, और उसने खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकारी के अधीन अथवा केंद्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए अनुमोदित किसी संस्था में खाद्य निरीक्षण एवं नमूनें लेने के कार्य में तीन मास का संतोषप्रद प्रशिक्षण प्राप्त न किया हो।

परन्तु प्रिवेन्शन आफ फुड एडल्ट्रेशन फोर्थ अमेन्डमेन्ट रूल्स, 1976 के नियम 3 के प्रारंभ होने के पूर्व-

(एक) अधिनियम के अधीन नियुक्त लोक विश्लेषक के, या

(दो) रॉयल इन्स्टीयूट आफ केमेस्ट्री आफ ग्रेट ब्रिटेन (ब्रांच ई) के, अध्येता (फैलो) के, या

(तीन) केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला के किसी निदेशक के नियंत्रण के अधीन की किन्हीं प्रयोगशालाओं में खाद्य निरीक्षण तथा नमूना लेने के कार्य में प्रशिक्षण प्राप्त किया हो,

या

खाद्य अपमिश्रण निवारण (संशोधन) नियम, 1980 के प्रारंभ होने के पूर्व खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकरण के अधीन प्राप्त प्रशिक्षण को इस प्रयोजन के लिए इन नियमों के अधीन अपेक्षित प्रशिक्षण के समतुल्य माना जावेगाः,

परन्तु यह और भी कि ऐसा व्यक्ति जो अर्हता प्राप्त स्वास्थ्य निरीक्षक हो, और जिसे इस रूप में कार्य करने का एक वर्ष की न्यूनतम कालावधि का अनुभव हों, और जिसने खाद्य निरीक्षक तथा नमूना लेने के कार्य का कम-से-कम तीन मास का पूर्णतः या अंशतः प्रशिक्षण किया हों, 31 मार्च 1985 को समाप्त होने वाली कालावधि तक खाद्य निरीक्षक के रूप में नियुक्ति का पात्र हो सकेगा, और यदि उसे इस रूप में नियुक्त किया गया हो, तो वह इस रूप में बना रहेगा भले ही वह खण्ड (क) तथा (ग) में अधिकथित अर्हताएं पूरी न करता होः,

परन्तु यह भी कि इस नियम में की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह ऐसे किसी व्यक्ति को जो, खाद्य अपमिश्रण निवारण (संशोधन) नियम, 1980 के प्रारंभ होने के समय खाद्य निरीक्षक हो, नियमों के प्रारंभ होने के बाद इस रूप में बने रहने से निरहित करती है।

Should possess the qualification prescribed for appointment as Food Inspector under the Provisions of rule 8 of prevention of food Adulteration Rule 1955.
A person shall not be qualified for appointment as food Inspector unless:

(a) is a medical officer incharge of health administration of local area, or

(b) is a graduate in medicine and has received atleast one month training in food Inspection and sampling work approved for the purpose by the Central Government or a State Government, or

(c) is graduate in a science with chemistry as one of the subject or is a graduate in Agriculture or public Health or Pharmacy or in vaterinary Science or a graduate in food technology or Dairy Technology or is a diploma holder in food technology or dairy technology from a university or Institution established in India by law or has equivalent qualification recognised and notified by the Central Government for the purpose and has received three months satisfactory training in food inspection and sampling work under a Food (Health) Authority or in an institution approved for the purpose by the Central Government:

Provided that the training in food Inspection and sampling work obtained prior to the commencement of (Rule 3 of prevention of Food Adulteration fourth amendment Rule 1976) in any of the laboratories under the control of -

(i) a public Analyst appointed under the act; or

(ii) a fellow of the Royal institute of Chemistry of Great Britain (Branch E); or

(iii) any Director, Central Food Laboratory;

OR

The training obtained under a Food (Health) Authority. Prior to the commencement of the prevention of food Adulteration (Amendment) Rules 1980 shall be considered to be equivalent for the purpose for the requisite training under these rules;

Provided further that a person who is a qualified Sanitary Inspector having experiences such for a minimum period of one year and has received atleast three months training in whole or in part in food Inspector and sampling work, may be eligible for appointment as Food Inspector up to the period ending on the 31 March, 1985 and may continue as such if so appointed even though he does not fulfil the qualification laid down clauses (a) and (c);

Provided also that nothing in this rule shall be constructed to disqualify any person who is a food Inspector the commencement of these prevention of food Adulteration (Amendment) Rules, 1980 from continuing such after such commencement.

4.5 आयु सीमाः- दिनांक 01.01.2009 को 21 वर्ष पूर्ण कर ली हो किन्तु 30 वर्ष की आयु पूर्ण न की गई हो परन्तु छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी आवेदकों के लिए आयु 30 वर्ष के स्थान पर 37 वर्ष होगी।

नोटः- छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-2/2002/1-3 रायपुर दिनांक 16.09.2008 के अनुसार छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी आवेदकों के लिए आयु की गणना हेतु अधिकतम आयु सीमा 37 वर्ष रहेगी। अन्य विशेष वर्ग जैसे- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर), महिला आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में राज्य शासन द्वारा जो छूट दी गई है, वे छूट यथावत लागू रहेगी परन्तु सभी प्रकार के छूट को सम्मिलित करने के बाद आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(C) 4.1 पद का नामः- औषधि विश्लेषक (द्वितीय)

4.2 सेवा श्रेणीः- राजपत्रित द्वितीय श्रेणी कार्यपालिक।

4.3 वेतनमान - रूपये 8,000-13,500/- इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महगांई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होगें।

4.4 आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएं-

औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम 1945 के नियम 44 के तहत् शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के मापदंडों के अनुसारः-

अधिनियम के अधीन ड्रग एनालिस्ट के रूप में नियुक्त ऐसा व्यक्ति होगा जो-

(अ) भेषज विज्ञान या विज्ञान या फार्मेसी या औषधि रसायन में स्नातक उपाधि (भारत के विधि द्वारा स्थापित विश्व विद्यालय द्वारा मान्य या ऐसी समतुल्य अर्हता जो केंद्रीय सरकार द्वारा ऐसे प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त तथा अधिसूचित हों) एवं

नियंत्रणाधीन औषधि परीक्षण प्रयोगशाला में औषधि परीक्षण का कम से कम पाँच वर्ष का स्नातकोत्तर अनुभव रखता हों, (i) इस अधिनियम के अधीन नियुक्त ड्रग एनालिस्ट, या (ii) संस्था का नियुक्ति प्राधिकारी या परीक्षण प्रयोगशाला का प्रमुख नियंत्रणाधीन प्रयोगशाला में (या केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला में दो वर्ष का औषधि परीक्षण जिसमें शेडयूल- ''सी'' की औषधि भी सम्मिलित हो, का प्रशिक्षण किया हो) या

(ब) भेषज विज्ञान या विज्ञान या फार्मेसी या औषधि रसायन में स्नातकोत्तर उपाधि हो (भारत के विधि द्वारा स्थापित विश्व विद्यालय द्वारा मान्य या ऐसी समतुल्य अर्हता जो केन्द्र सरकार द्वारा ऐसे प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त तथा अधिसूचित हो) या इन्स्टीटयूशन आफ कैमिस्ट (इंण्डिया) का एसोसिएटशिप डिप्लोमा हो जो उसने औषधि विश्लेषण तथा औषधि निर्माण को एक विषय के रूप में लेकर उक्त परीक्षा उत्तीर्ण की हो एवं उक्त स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा प्राप्त करने के पश्चात् (i) अधिनियम के अधीन नियुक्त ड्रग एनालिस्ट के या (ii) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस प्रयोजन के लिए अनुमोदित संस्था या परीक्षण प्रयोगशाला में औषधि परीक्षण का कम से कम तीन वर्ष अनुभव रखता हो, (या केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला में दो वर्ष का औषधि परीक्षण जिसमें शेडयूल - ''सी'' की औषधि भी सम्मिलित हो का प्रशिक्षण किया हो)

परन्तु यह कि -

(i) शेडयूल - ''सी'' के औषधि समूह परीक्षण के लिए -

(i अ) कोई भी व्यक्ति जिसकी नियुक्ति क्लॉस (अ) या (ब) के अधीन की गई हो तथा वह भेषज विज्ञान, फीजियोलॉजी, औषधि विज्ञान, सूक्ष्म जैविकी, फार्मेसी में स्नातक उपाधि के साथ नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित संस्था या परीक्षणप्रयोगशाला में कम से कम छः माह का परीक्षण अनुभव या प्रशिक्षण प्राप्त किया हो,

(i ब) कोई भी व्यक्ति जिसकी नियुक्ति क्लॉस (अ) या (ब) के अधीन की गई हो परन्तु (i अ) में उल्लेखित विषयों में स्नातक डिग्रीधारी नहीं है, ऐसी स्थिति में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस प्रयोजन के लिये अनुमोदित संस्था या परीक्षण प्रयोगशाला में शेडयूल - ''सी'' के औषधियों का कम से कम तीन वर्ष का परीक्षण अनुभव प्राप्त किया हो, अथवा केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला में शेडयूल में वर्णित औषधियों का परीक्षण का प्रशिक्षण अनुभव प्राप्त किया हो।

(ii) प्रांतों में अधिनियम का अध्याय - iv प्रभावशील होने के पश्चात् यदि नियुक्ति प्राधिकारी किसी व्यक्ति को प्रशिक्षण एवं अनुभव के आधार पर तथा समय-समय पर अन्य प्रशिक्षण मिलाकर उसे योग्य पाती है, तो ऐसे व्यक्ति को 4 वर्ष के लिए ड्रग एनालिस्ट नियुक्त कर सकती है। नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो 4 वर्ष के सेवाकाल पश्चात् भी उसकी सेवाऐं जारी रख सकती है।

(iii) ऐसा व्यक्ति जो परोक्ष या अपरोक्ष रूप में औषधि निर्माण या व्यवसाय में हित रखता हो, ड्रग एनालिस्ट की नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

परन्तु यह कि नियुक्त व्यक्ति पशु चिकित्सा में उपयोगित एंटीसेरा, टाकसाइड, टीका एवं एंटीजन का परीक्षण अनुभव के साथ पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातक हो या सामान्य विज्ञान में स्नातक हो या लोक स्वास्थ्य या फार्मेसी में स्नातक हो एवं कम से कम जैविक उत्पादों का स्टेण्डराइजेशन करने का 5 वर्ष का अनुभव रखता हो अथवा पशु चिकित्सा विज्ञान या सामान्य विज्ञान या लोक स्वास्थ्य या फार्मेसी या औषधि रसायन में स्नातकोत्तर के साथ कम से कम तीन वर्ष का जैविक उत्पादों का स्टैण्डराइजेशन करने का अनुभव प्राप्त हो।

परन्तु यह और भी कि यदि नियोक्ता चाहे तो कार्यरत् ड्रग एनालिस्ट जिसके पास उपरोक्त क्लॉस (अ) एवं (ब) में वर्णित अर्हताऐं नहीं होने पर भी वह ड्रग एनालिस्ट के पद पर कार्य करने के लिये पात्र रहेगा।

As per the rule 44 of drugs and cosmetics rules 1945, the following qualification are laid down

Qualifications of Government Analyst (Drug Analyst) -- A Person appointed as a Government Analyst under the act shall be a person who --

(a) is a graduate in Medicine or Science or Pharmacy or Pharmaceutical Chemistry of a [University established in India by the law or has an equivalent qualification recognised and notified by the Central Government for such purpose] and has had not less than five years post-graduate experience in the testing of drugs in a laboratory under the control of (i) a Government Analyst appointed under the act, or (ii) the head of an Institution or testing laboratory approved for the purpose by the appointing authority [or has completed two years training on testing of drugs, including items stated in Schedule C, in Central Laboratory], or

(b) Possesses a Post-graduate degree in Medicine or Science or Pharmacy or Pharmaceutical Chemestry of a [University established in India by the law or has an equivalent qualification recognised and notified by the Central Government for such purpose] or possesses the associateship Diploma of the Institution of Chemists (India) obtained by passing the said examination with 'Analysis of Drugs and Pharmaceuticals' as one of the subjects and has had after obtaining the said post-graduate degree or diploma not less than three Years experience in the testing of drugs in a laboratory under the control of (i) a Government Analyst appointed under the Act, or (ii) the head of an Institution or testing laboratory approved for the purpose by the appointing authority [or has completed two years training on testing of drugs, including items stated in Schedule C, in Central Laboratory]:

Provided that --

[(i) for the purpose of examination of items in Schedule C,--

(ia) the persons appointed under clause (a) or (b) and having degree in Medicine, Physiology, Pharmacology, Microbiology, Pharmacy should have experience or training in testing of said items in an institution or laboratory approved by the appointing authority for a period of not less than six months;

(ib) the persons appointed under clause (a) or (b) but not having degree in the above subjects should have experience or training in testing in testing of the said Schedule C drugs for a period of not less than three years in an institution or laboratory approved by the appointing authority or have completed two years training on testing of drugs including item stated in Schedule C, in Central Laboratory;]

(ii) for a period of four years from the date on which Chapter IV of the Act takes effect in the States, persons, whose training and experience are regarded by the appointing authority as affording, a subject to such further training, if any, as may be considered necessary, a reasonable guarantee of adequate knowledge and competence may be appointed as Government Analysts. The persons so appointed may, if the appointing authority so desires, continue in service after the expiry of the said period of four years;

(iii) no person who is engaged directly or indirectly in any trade or business connected with the manufacture of drugs shall be appointed as a Government Analyst for any area:

Provided further that for the purpose of examination of Antisera, Toxoid and Vaccines and Diagnostic Antigens for Veterinary use, the person appointed shall be a person who is a gradute in Veterinary Science, or General Science, or medicine or pharmacy and has had not less than five years experience in the Standardization of biological products or a person holding a post-graduate degree in Veterinary Science, or General Science, or medicine or pharmacy or Pharmaceuticals Chemistry with an experience of not less than three years in the Standardization of biological products:

Provided also that persons, already appointed as Government Analysts amy continue to remain in service, if the appointing authority so desires, not with standing the fact that do not fulfil the qualifications as laid down in clause (a), clause (b) or the preceding person.]

4.5 आयु सीमा :- दिनांक 01.01.2009 को 21 वर्ष पूर्ण कर ली हो किन्तु 38 वर्ष की आयु पूर्ण न की गई हो।

नोटः- छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-2/2002/1-3 रायपुर दिनांक 16.09.2008 के अनुसार अन्य विशेष वर्ग जैसे- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर), महिला आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में राज्य शासन द्वारा जो छूट दी गई है, वे छूट यथावत लागू रहेगी परन्तु सभी प्रकार के छूट को सम्मिलित करने के बाद आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।